भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

कोषागार 16 DEC 20 मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 151534

क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निबन्धक प्रथम मुजफ्फरनगर

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

भूमि का प्रकार	:-	आवासीय मकान
वार्ड परगना	:-	मुजफ्फरनगर
मोहल्ला/ग्राम	:-	धन्धेडा
सम्पत्ति का विवरण{सम्पत्ति नं0}	:-	खसरा नं0 384म
मापन की इकाई {हैक्टेयर/वर्गमीटर}	:-	वर्गमीटर
सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:-	334.40 वर्गमीटर
सड़क की स्थिति {परिशिष्ट के अनुसार}	:-	रास्ता 18 फुट चौडा
अन्य विवरण {9 मीटर रोड/कार्नर इत्यादि}	:-	
सम्पत्ति का प्रकार	:-	आवासीय मकान

ह0 [illegible]

ह0 सलाउद्दीन

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTAR PRADESH

R 151535

प्लाट/ फ्लैट/मकान/दुकान/कृषि सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल {बहुमंजिला भवन की स्थिति में}		
कुल आच्छादित क्षेत्रफल	:-	एक मंजिला
स्थित-फिनिश्ड/सेमीफिनिश्ड/अन्य	:-	नही है
निर्मित क्षेत्रफल	:-	द्वितीयश्रेणी
निर्माण का वर्ष	:-	20.9 वर्गमीटर तृतीयश्रेणी
	:-	3 वर्ष पुराना
सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है- हाँ/नही	:-	नही है
प्रतिफल की धनराशि	:-	3,90,000/-रूपये
निर्धारित रेट	:-	800/-रूपये प्रतिवर्गमीटर
निर्माण दर	:-	6200/-रूपये प्रतिवर्गमीटर
निर्धारित रेट से मालियत	:-	3,98,000/-रूपये
स्टाम्प शुल्क	:-	27,860/-रूपये

चौहद्दी

पूरब-मकान इरफान

पश्चिम-रास्ता 18 फुट चौडा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

6 DEC 2010

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTAR PRADESH

R 151536

उत्तर-प्लाट अशरफ अली प्रथमपक्ष
दक्षिण-प्लाट अशरफ पुत्र रहमूदीन

प्रथमपक्ष की संख्या {1}एक

द्वितीयपक्ष की संख्या {1}एक

विक्रीत सम्पत्ति आवास विकास शुल्क के अर्न्तगत है।
विक्रित सम्पत्ति किसी भी सैगमेन्ट के अर्न्तगत नही है।

हम कि **अशरफ अली** पुत्र श्री फतेहदीन निवासी ग्राम मन्धेडा परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर प्रथमपक्ष {विक्रेता} व श्री **सलाउदीन** पुत्र श्री अशरफ अली निवासी ग्राम धन्धेडा परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर द्वितीयपक्ष {क्रेता} के है।

जो कि निम्नलिखित सम्पत्ति प्रथमपक्ष की पैतृक सम्पत्ति है, जिसमें अन्य कोई भागीदार नहीं है, ओर जो इस समय तक हर प्रकार के भार बन्धक आदि

नि० अशरफ अली

नि० सलाउद्दीन

भारत

Rs.5000

रु.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

N 753042

UTTAR PRADESH

से कतई स्वच्छ एवं मुक्त है, और जिसके बारे मे प्रथमपक्ष को पूर्ण अधिकार हर किस्म प्राप्त है, द्वितीय पक्ष ने सम्पत्ति निम्नलिखित मौके पर देख लिया है और समझ लिया है ओर उसके आकार प्रकार तथा उसमें प्रथमपक्ष के अधिकारों के प्रति अपनी पूर्ण जानकारी ओर तसल्ली कर ली है कि यह सही है ओर द्वितीयपक्ष आज उसका बैनामा करा रहा है। अतः प्रथमपक्ष ने स्वेच्छा तथा प्रसन्नता व स्वस्थ मस्तिष्क की दशा में होकर निम्नलिखित सम्पत्ति को मय उससे सम्बन्धित समस्त अधिकारों के न रखने शेष किसी भी अधिकार के

नि० ...

नि० सलाउद्दीन

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

पाँच हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

N 753043

UTTAR PRADESH

बाजारी मूल्य पर बिल एवज मुबलिग तीन लाख नब्बे हजार रूपये {3,90,000/-रूपये} कि आधे जिसके एक लाख पिचान्वें हजार रूपये {1,95,000/-रूपये}होते है बदस्त श्री सलाउदीन पुत्र श्री अशरफ अली निवासी ग्राम धन्धेडा परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर द्वितीयपक्ष {क्रेता} को विक्रय कर दी और बेच दी है और समस्त विक्रय मूल्य प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से नगद पेश्तर समक्ष गवाहान प्राप्त कर लिये है इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य प्राप्त किया कोई रूपया पैसा बाकी नही रहा है और विक्रीत सम्पत्ति से प्रथमपक्ष ने अपना कब्जा व दखल उठाकर दखल व कब्जा द्वितीयपक्ष का

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTAR PRADESH

L 216665

बहालत मौजूदा मौके पर अपने तुल्य करा दिया है। और उसे उसका पूर्ण मालिक व अधिकारी बना दिया है। आज से प्रथमपक्ष व उनके उत्तराधिकारियों का कोई वास्ता व ताल्लुक विक्रीत सम्पत्ति व उसके विक्रय धन से शेष नहीं रहा है और न ही भविष्य मे होगा। अब यदि विक्रीत सम्पत्ति कुल या उसका कोई अंश प्रथमपक्ष के किसी सहीम व शरीक की दावेदारी से या प्रथमपक्ष के किसी फेल या तर्क फेल के कारण या किसी कानूनी नुक्स के कारण किसी अन्य कारण से

नि. मुशर्रफ अली

नि. सलाउद्दीन

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते INDIA

UTTAR PRADESH

L 216666

जो कि प्रथमपक्ष की ओर से अमल में आवे कब्जे द्वितीयपक्ष में कोई बाधा पडें उस पर अधिकार न मिले कब्जे मे न आवे, कब्जे से निकल जावे तो ऐसी समस्त दशाओं मे प्रथमपक्ष की पूर्ण जिम्मेदारी होगी और द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि वह कब्जा स्वंय या अदालत द्वारा हासिल करे ले या जुज जरे मूल्य जैसी भी उस समय दशा हो मय सूद जाब्ता, मय हर्जा व खर्चा के प्रथमपक्ष की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लेवे। इसमें प्रथमपक्ष या उनके उत्तराधिकारियों को को:ई आपत्ति किसी प्रकार की नही होगी। विक्रित मकान का

(8)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH

K 461877

आज से पूर्व कोई इकरारनामा सादा व रजिस्ट्री नही किया गया है यदि विक्रित मकान पर आज से पूर्व की कोई देनदारी या ऋण भार आदि पाया जाता है तो ऐसी समस्त देनदारी को प्रथमपक्ष अपनी अन्य जात जायदाद से चुकता करेगा ऐसी किसी भी देनदारी से द्वितीयपक्ष का कोई वास्ता ताल्लुक नही होगा। विक्रीत सम्पत्ति 18 फुट चौडे रास्तो पर है इस क्षेत्र मे ऐसी आवासीय भूमि का सरकार

भारतीय गैर न्यायिक

सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH

AH 913792

द्वारा निर्धारित दर 800/-रूपये प्रतिवर्गमीटर कायम है जिसके अनुसार विक्रीत सम्पत्ति की तहती आराजी की मालियत मुबलिग 26,7,520/-रूपये होती है, तथा मकान का आर0बी0सी0 लैन्टर के छपाव व साधारण फर्श का कवर्ड एरिया 20.9 वर्गमीटर 3 वर्ष पुराना है जिसका निर्माण दर 6200/-रूपये प्रतिवर्गमीटर

भारतीय गैर न्यायिक
रुपये 100
Rs. 100
ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
UTTAR PRADESH
AH 913790

कायम है जिसके अनुसार कवर्ड एरिया की मालियत 1,29,580/-रूपये होती है इस प्रकार विक्रित मकान की कुल मालियत 3,98,000/-रूपये होती है। विक्रित सम्पत्ति से सम्बन्धित विकास शुल्क बजिम्मे द्वितीयपक्ष रहेंगें। विक्रीत सम्पत्ति से

नि० नारायणदास

नि० समाउद्दीन

रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH

AH 913791

50 मीटर की त्रिज्या मे कोई व्यवसायिक क्षेत्र नही है।अस्तु यह बैनामा लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे इति।

विवरण विक्रीत सम्पत्ति स्थित ग्राम **धन्धेडा** परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगरः- जो कि दरोबस्त एक मकान पश्चिम मुहाना तामीरा पुख्ता जिसमे

(12)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

11AA 802712

UTTAR PRADESH

एक कोठा उत्तर मुहाना व एक कमरा दक्षिण मुहाना व एक कमरा पूरब मुहाना आर0बी0सी0 लैन्टर व साधारण फर्श का तामीर है जिनका कवर्ड एरिया 20.9 वर्गमीटर है मय पेशीन बरामदा मय सहन अन्दरूनी बैरूनी मय मलबा हर किस्म

नि० मारशल अली

नि० सलाउद्दीन

(13)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

21 DEC 2010

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH 11AA 802713

मय चारदीवारी मय जुमला मकानात मय आराजी तहती जिसकी पैमाईश पूरब से पश्चिम 80 फुट, उत्तर से दक्षिण 45 फुट कुल क्षेत्रफल 400 वर्गगज यानि

नि० [illegible] नि० [illegible]

(14)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AA 802714

334.40 वर्गमीटर मुन्दर्जा जुज खसरा नं0 384म मे वाके है। मय जुमला हक व हकूक हर किस्म। विक्रीत मकान के 50 मीटर की त्रिज्या मे आवासीय प्रयोजन क्षेत्र है।

नि० मु० शाहजहाँ

नि० शमशुद्दीन

साक्षी- Imran Choudhary
S/o Shri Firoj Jacker
Vill+Post - Purbaliyan
Dist - M. Nagar

साक्षी- Aas Mohammed
S/o Ballu
Vill+Post - Purbaliyan
District - Muzaffar Nagar

तहरीर तारीखः- 23-12-2010 ई0

मसौदा कर्ता:- सैय्यद हसन अकबर जैदी दस्तावेज

नाम दस्तावेज लेखक :सैय्यद हसन अकबर जैदी
अनुज्ञप्ति सं0 48 विधि मान्य 31-3-2012 तक
स्थान : तहसील व जिला मुजफ्फरनगर
लेख शुल्क 600/-रूपये हस्ताक्षर

अगुंली का प्रकार

मौशरफ अली (विक्रेता)

	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

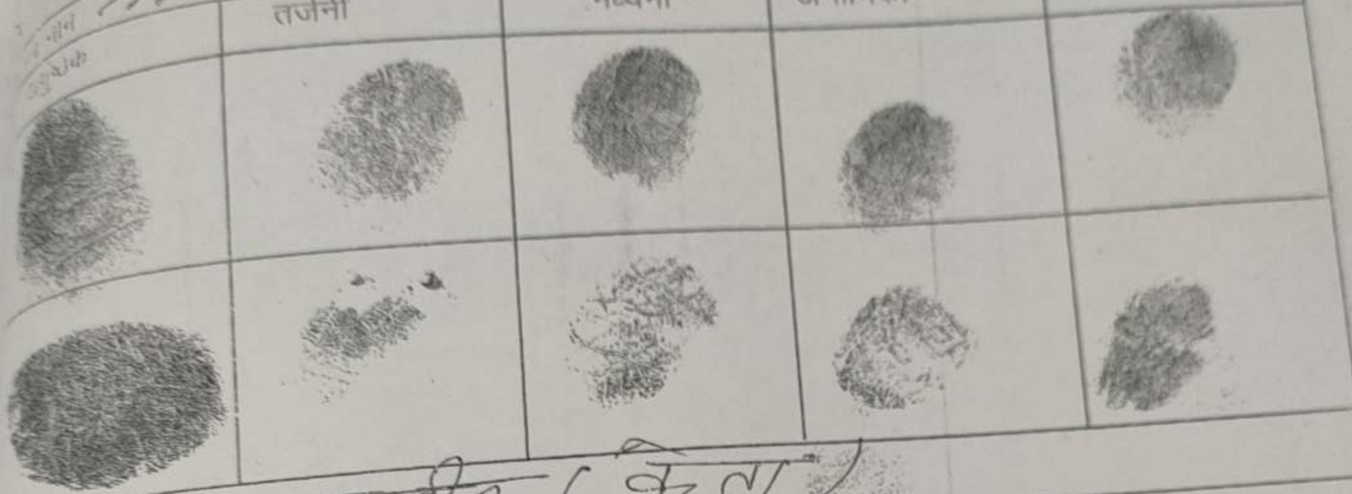

सलाउद्दीन (क्रेता)

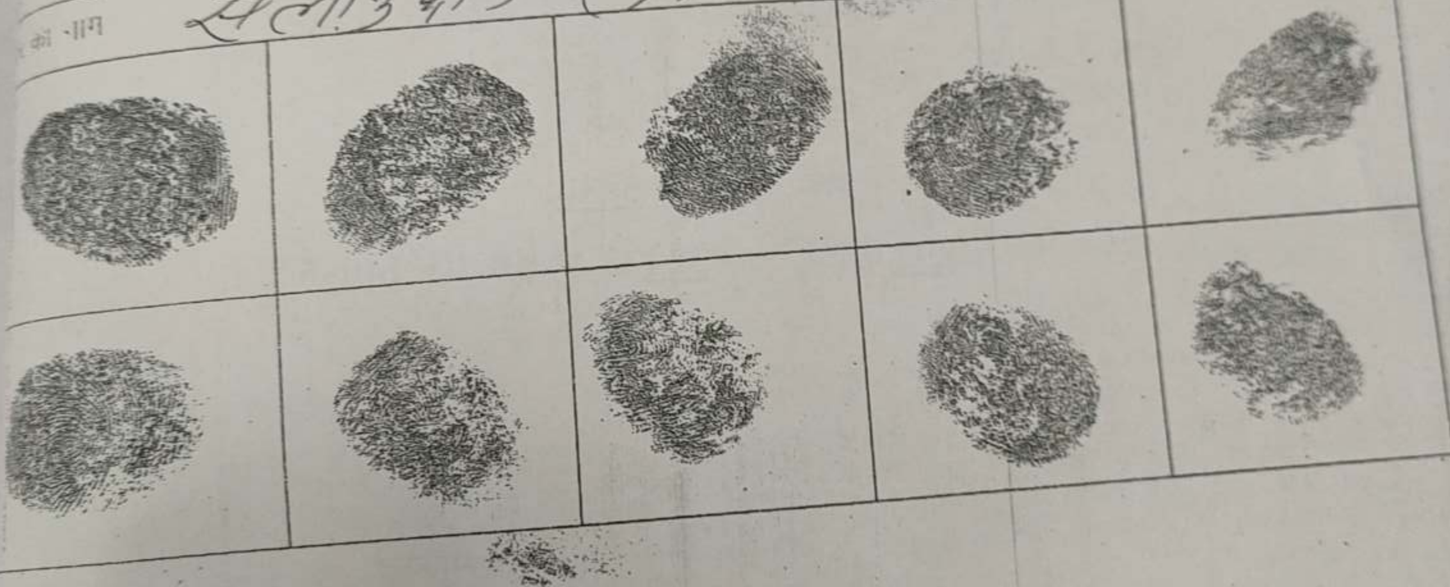

आज दिनांक 23/12/2010 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 5930

पृष्ठ सं. 293 से 324 पर कमांक 14095

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शम्भूलाल

23/12/2010